



All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
अधिकारी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)

All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)

Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)

दिनांक 20 अप्रैल 2019 को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

क्रमांक	दिनांक 19 फरवरी 2019 के एजेंडा बिन्दु	की गई कार्यवाही विवरण
1	गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी से संबंधित संलग्न वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019–2020 के अनुपालन का प्रयास किया जाना।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने वार्षिक कार्य योजना के आधार पर अनुपालन करने के प्रयास तो ज करने के निर्देश दिये।
2	क तथा ख क्षेत्र की कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र 100 प्रतिशत हिन्दी या द्विभाषी में भेजे जाने के निर्देश।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने अनुपालन करने के प्रयास हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।
3	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिसके तहत आदेश, परिपत्र, नियुक्ति पत्र, निविदा, करार, विज्ञापन, नोटिस आदि द्विभाषी में ही जारी किये जाएं। आदेश, नियुक्ति पत्र, विज्ञापन, नोटिस व कुछ परिपत्र द्विभाषी में जारी किये जा रहे हैं। शेष के लिए संबंधितों को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने संबंधितों को धारा 3 (3) का अनुपालन करने के प्रयास हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।
4	दिनांक 19 फरवरी 2019 को अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन उपरांत समस्त अनुभागों का निरीक्षण 25 एवं 28 मार्च 2019 को किया गया, जिसमें संबंधित अनुभागों के कर्मचारियों को राजभाषा आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपादित किये जाने के लिए बताया गया। निर्देश संलग्न है।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने पुनः इस तिमाही में सभी अनुभागों का निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए।
5	ऐसे संकाय सदस्य व अधिकारीण जो हिन्दी जानते हैं, उन्हें उनके समस्त आवेदन व अन्य पत्राचार हिन्दी में ही किये जाने के निर्देश दिये जायें व नये पदभार ग्रहण किये संकाय सदस्यों/अधिकारियों को विभागीय राजभाषा समिति का सदस्य बनाया जाये।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने पूर्व की भाँति सभी विभागाध्यक्षों/अधिकारियों को विभागीय राजभाषा समिति का सदस्य बनाये जाने का अनुमोदन किया।
6	इस वित्तिय वर्ष से हिन्दी में संगोष्ठी आयोजित करने के प्रयास व अनुमोदन।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने अनुमोदित किया।
7	हिन्दी प्रकोष्ठ के लिए स्वीकृत पदों यथा वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक की भर्ती जल्द से जल्द किया जाना एवं इस हेतु संबंधितों को निर्देश।	आदर्श आचार संहिता समाप्ति उपरांत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन निदेशक महोदय ने किया।
8	क एवं ख क्षेत्रों में हिन्दी पत्राचार की सख्ता में वृद्धि किया जाना, वर्तमान में यह लक्ष्य 100 प्रतिशत का है। क्षेत्रवार अधिकतम प्रतिशत लक्ष्य अनुसार प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाना।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने अनुपालन करने के प्रयास हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।
9	हिन्दी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास हेतु फाईलों में अधिकतर नोटिंग हिन्दी में करने तथा आंतरिक पत्राचार भी हिन्दी में किये जाने को बढ़ावा।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने अनुपालन करने के प्रयास हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।
10	वित्तिय वर्ष 2018–19 के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिन्दी भाषा में किये गये कार्यों के लिए कर्मचारियों को हिन्दी पत्रवाडा 2019 के अवसर पर पुरस्कृत किया जाना।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने अनुमोदित किया।
11	केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए हिन्दी की पुस्तकों क्रय करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाना।	अध्यक्ष सह निदेशक महोदय ने आगामी तिमाही बैठक के पूर्व तक हिन्दी पुस्तकों की खरीद करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करते हुए अनुमोदन किया।

12	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव यदि कोई हो तो।	डॉ. आलोक चंद्र अग्रवाल ने सभी विभागों के कम्यूटरों में हिन्दी टायपिंग की सुविधा वाले फॉट डाउनलोड किये जाने का निवेदन किया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदित कर संबंधितों को उक्त कार्य करने हेतु निर्देशित किया। AIIMS Raipur
13	अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित अन्य बिन्दु।	अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों से वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्य संपादित करने के प्रयास किये जाने हेतु आग्रह किया, साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26 अप्रैल 2019 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने कहा।

उक्त बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ निम्न अधिकारी, संकाय सदस्य व कर्मचारी उपस्थित थे –

1. डॉ. एस.पी.धनेशरिया, अधिष्ठाता,
2. श्री नीरेश शर्मा, उपनिदेशक (प्रशासन),
3. डॉ. अजय दानी, चिकित्सा अधीक्षक,
4. डॉ. सरिता अग्रवाल, प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग,
5. डॉ. कृष्णदत्त चावली, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, फोरेंसिक मेडिसीन विभाग,
6. डॉ. एली महापात्रा, प्राध्यापक, जैव रसायन विभाग,
7. डॉ. आलोक चंद्र अग्रवाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग,
8. डॉ. सोमेन मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ऑफथेल्मोलॉजी विभाग,
9. श्री एस.के. नेमा, वित्तीय सलाहकार,
10. डॉ. सिद्धर्थ नंदा, सह-प्राध्यापक, रेडियोथेरेपी,
11. डॉ. अर्जांय कुमार बेहरा, सह-प्राध्यापक, पल्सोनरी मेडिसीन विभाग,
12. डॉ. नकुल उपल, सह-प्राध्यापक, दंतरोग विभाग,
13. डॉ. दीपक कुमार विश्वाल, सहायक प्राध्यापक, यूरोलॉजी,
14. डॉ. पदमा दास, अतिरिक्त प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष, माईक्रोवायोलॉजी विभाग,
15. डॉ. ध्यानेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष, एनोटामी विभाग
16. डॉ. अनिल कुमार गोयल, अतिरिक्त-प्राध्यापक, बाल रोग विभाग,
17. डॉ. निगहत हुसैन, अतिरिक्त प्राध्यापक, पैरोलॉजी एवं लैब मेडिसीन विभाग,
18. डॉ. देबज्योति मोहनी, अतिरिक्त प्राध्यापक, जनरल सर्जरी विभाग,
19. डॉ. अनिल कुमार, सहायक प्राध्यापक, न्यूरोलॉजी विभाग,
20. डॉ. जितेन कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक, बन्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग,
21. डॉ. अग्नृत घोष, सहायक प्राध्यापक, एण्डोकार्डिनोलॉजी एवं मेटाबॉलिज्म विभाग,
22. डॉ. सत्याकि गांगुली, सहायक प्राध्यापक, चमरोग विभाग,
23. डॉ. सत्यजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग
24. डॉ. नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, ट्रामा एंड ईमरजेंसी विभाग
25. श्री मिलिद मुजुमदार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
26. श्री मनोज रस्तोरी, कार्यपालन अभियंता
27. श्री व्ही. सीताराम, प्रशासनिक अधिकारी
28. श्री रिषी गुप्ता, भंडार अधिकारी (चिकित्सालय),
29. श्री अंजन राय, सहायक लेखाधिकारी
30. श्री वरुण पाण्डेय, प्रोगामर व
31. श्री चंद्रभान प्रधान, प्रोगामर व
32. श्री अमित कुमार बंजारे, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक विभाग उपस्थित थे।

नितिन म. नागरकर
5.5.201
 प्रो. (डॉ.) नितिन म. नागरकर
 निदेशक, एम्स रायपुर सह
 अध्यक्ष, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
 एम्स, रायपुर